सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 628/2022
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरदमन सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. सुखपाल कौर पत्नी श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 04.01.2023

वादीगण गुरसेवक सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सुखपाल कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादीगण की माता है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीया सं. 1 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है तथा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीया सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादीया सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादीया सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादीया

लगातार ––2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सं. 1 ने उक्त कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिसका अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :–

(क) वादीगण गुरसेवक सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह एवं गुरदमन सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 3.036 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीया सं. 1 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादीया सं. 1 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीया सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श–1 है। साक्ष्य वादी में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

लगातार ––3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 3.036 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 की जमाबन्दी की प्रति पेश की। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 3.036 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 628/2022

3. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. गुरदमन सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

3. सुखपाल कौर पत्नी श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 04.01.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीया मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादीगण की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 आई.डी.जी. के खाता सं. 138/121 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 3.036 है. कृषि भूमि के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....×..... निल .....×..... मुब्लिक .....×.....निल .....×..... बाबत् .....×.....निल.....×..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....×.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक 04.01.2023** को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया